न्यायालय, सब जज–तृतीय, डुमरॉव, बक्सर।

टी0एस0 सं0–66–डी/2015

सी.आई.एस.–166–डी/15

हरिवंश राय – वादी

बनाम्

भृगुनाथ नाय वगैरह– प्रतिवादी

21.03.2023.

आदेश

उभय पक्षें की पैरवी है। प्रस्तुत वाद वादी की तरफ से दिए गए आवेदन दिनांक–01.08.2022 अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 वो धारा 151 सी0पी0सी0, धारा 5 लिमिटेशन एक्ट तथा धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक–15.02.2023 एवं प्रतिवादी के द्वारा दाखिल प्रतिस्थापन आवेदन दिनांक–23.11.2022 पर उभय पक्षों के सुनवाई उपरान्त आदेश हेतु नियत है।

वाद पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। वाद सुनवाई के दौरान वादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रतिवादी संख्या 3 शिवनाथ राय की मृत्यु दिनांक–12.04.2015 को होने की आवेदन दिनांक–01.08.2022 में उल्लेख किया गया है परन्तु उस त्रृटि की सुधार हेतु दिनांक–15.02.2023 को आवेदन दिया गया है जिसमें प्रतिवादी संख्या–3 की मृत्यु दिनांक–12.04.2015 की जगह दिनांक–11.09.2017 माना जाए। उक्त प्रतिवादी के मृत्यु के बाद उनके कानूनी वारिसानों का नाम वाद की अग्रिम प्रकिया हेतु आवश्यक है। अतः विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रतिवादी संख्या–3 का नाम अर्जी से विलोपित कर उनके वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित किया जाए। वादी को प्रतिवादी की मृत्यु की जानकारी समय पर नहीं हो सकी जिस कारण उसे आवेदन दाखिल करने में बिलंब हुआ जिसके लिए वादी द्वारा धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का अलग से आवेदन दिया गया है एवं बिलंब माफी हेतु अलग से भी आवेदन दिया गया है।

प्रतिवादी का विद्वान अधिवक्ता का अपने प्रतिउत्तर दिनांक–23.11.2022 पर कहना है कि वादी का प्रतिस्थापन आवेदन कानूनन पोषणीय नहीं है क्योंकि वादी ने अपने प्रतिस्थापन आवेदन में प्रतिवादी संख्या 3 शिवनाथ राय की मृत्यु दिनांक–12.04.2015 को ही दिखाया गया है जबकि मुकदमा उनके द्वारा दिनांक–09.09.2015 को दाखिल किया गया है। वादी ने मृतक शिवनाथ राय के विरूद्ध यह मुकदमा दाखिल किया था। आदेश 22 नियम 4 के अंतर्गत प्रतिस्थापन का आवेदन मुकदमा के दौरान मृत व्यक्ति के विधिक वारिसान को

पक्षकार बनाने के लिए समय–सीमा के अंतर्गत दिया जाता है लेकिन वादी ने यह प्रतिस्थापन आवेदन मुकदमा दाखिल करने के पूर्व मृत व्यक्ति के विधिक वारिसानों का प्रतिस्थापन हेतु दिया है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि उनके द्वारा दिया गया आवेदन काफी बिलंब से दिया गया है। अतः वादी के आवेदन को खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

उभय पक्षों को सुना एवं सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादी ने प्रतिस्थापन हेतु जो आवेदन दिनांक–01.08.2022 को दिया है उसमें प्रतिवादी संख्या 3 शिवनाथ राय की मृत्यु दिनांक–12.04.2015 दिखाया गया है परन्तु इसी को सुधार हेतु वादी के द्वारा पुनः एक आवेदन दिनांक–15.02.2023 को दिया गया है जिसमें उक्त आवेदन को दिनांक–01.08.2022 के आवेदन का पार्ट समझा जाए की प्रार्थना किया गया है। इस प्रकार वादी के द्वारा सुधार हेतु दिया गया आवेदन से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी संख्या 3 शिवनाथ राय की मृत्यु दिनांक–11.09.2017 को हो चुका है। शिवनाथ राय के वारिसानों में वादी के द्वारा सोनू कुमार, गिनी देवी, शिम्पल देवी आदि का नाम बताया गया है। वादी के द्वारा दिया गया आवेदन काफी बिलंब से दिया गया है। यद्यपि वादी द्वारा बिलंब माफी हेतु जो आवेदन दिया गया है तथा जो कारण दर्शाया गया है उसमें न्यायालय को बल नहीं पड़ता है वाद की अग्रिम कार्यवाही एवं वाद का सही न्याय निर्णयन हेतु मृत प्रतिवादी के नाम को विलोपित कर उनके वारिसानों का नाम प्रस्थिापित करना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में वादी के आवेदन 500/–रूपया कॉस्ट के साथ जो प्रतिवादी पक्ष को देय होगा स्वीकृत किया जाता है तथा कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि वे वाद पत्र से प्रतिवादी संख्या 3 का नाम विलोपित कर उनके जगह पर उनके कानूनी वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करें।

वाद दिनांक–.....2023 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु।

लेखापित

सब जज–तृतीय